सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

महेन्द्रलाल बनाम पिरथीराम

09.07.2019

अपीलांट उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि उक्त अपील में पूर्व में निर्णय दिनांक 21–10–2011 को पारित करते हुए अपील को खारिज किया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्व रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 12–12–2011 को स्वीकार किया गया। उक्त रिव्यू आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील स्वीकार करते हुए रिव्यू आदेश दिनांक 12–12–2011 को निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः पत्रावली को निष्प्रभावी धेषित किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि उक्त आदेश की जानकारी उन्हें नहीं है।

इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 12–12–2011 को निरस्त किया जा चुका है तथा यह निर्देशित किया गया है कि मूल आवंटन आदेश यदि कोई हो तो प्रत्यर्थी संख्या 1 सक्षम न्यायालय में चुनौती देने हेतु स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 20–07–2018 के अनुसरण में उक्त अपील निष्प्रभावी होने पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।